न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–47 / 2018–19

कैलाशनाथ जायसवाल...अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू..प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
31.08.18	अपीलार्थी कैलाशनाथ जायसवाल, पिता–स्व० सेवालाल जायसवाल, ग्राम–बाजारटाँड़, बुण्डू थाना–बुण्डू जिला–राँची ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–307 R27 / 2017-2018 / बुण्डू में दिनांक–06 / 02 / 2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	

भूमि विवरणी

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू / 0028	147	2659	0 एकड़ 2.1 डीसमील
			2658	0 एकड़ 2.9 डीसमील

अपीलार्थी को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि उपरोक्त वर्णित भूमि मैंने श्री मनोज कुमार जायसवाल, पिता–स्वर्गीय जीतनाथ सहाय जायसवाल, ग्राम–21 काली स्थान रोड, थाना–लोअर बाजार, जिला–राँची से निबंधन पट्टा सं०–5410 / 4531 द्वारा दिनांक–29 / 07 / 2015 को क्रय किया है। जिसका दाखिल खारिज हेतु अंचल कार्यालय, बुण्डू में आवेदन दिया जिसे खारिज कर दिया गया।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०307 R27 / 2017-2018 / बुण्डू में दिनांक–06 / 02 / 2018 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि का ऑनलाईन पंजी।। में खेसरा प्रविष्टि नहीं है। नामांतरण आवेदन ऑनलाईन प्राप्त है एवं सुनवाई की तिथि को आवेदक आवश्यक मूल कागजातों के साथ उपस्थित नहीं हुए। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि आवेदक से आवश्यक मूल कागजात प्राप्त कर आवेदित भूमि का दाखिल खारिज अपीलार्थी के नाम से करने हेतु नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

31/08/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

31/08/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।